

Date: June 27, 2024

To, National Stock Exchange of India Limited ("NSE") Listing Department Exchange Plaza, C-1 Block G, Bandra Kurla Complex Bandra [E], Mumbai – 400051	To, BSE Limited ("BSE") Listing Department Corporate Relationship Department Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai - 400 001
NSE Scrip Symbol: AWFIS	BSE Scrip Code: 544181
ISIN: INE108V01019	ISIN: INE108V01019

SUBJECT: Newspaper publication - Notice of postal ballot and remote e-voting

Dear Sir/Ma'am,

Pursuant to provision of Regulation 30 and 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we herewith enclose the copy(ies) of intimation published by the Company, regarding dispatch of postal ballot notice through electronic mode, details of remote e-voting facility and other related information in the following newspapers:

Business Standard (all editions in English) on 27th June, 2024 Business Standard (Delhi edition in Hindi) on 27th June, 2024

You are requested to kindly take the above information on record

Thanking You,

For Awfis Space Solutions Limited



Amit Kumar Company Secretary and Compliance Officer M. No. A31237

Add: C-28 and 29 Kissan Bhawan Qutub Institutional Area New Delhi 110016

Corporate and Regd. Office

Awfis Space Solutions Limited C-28-29, Kissan Bhawan, Qutab Institutional Area, New Delhi – 110016 www.awfis.com | Email: info@awfis.com | Phone: 011- 69000657

CIN: U74999DL2014PLC274236



NANDINI SINGH

s our modern lifestyle leading us toward a health crisis? According to a recent report by medical journal *Lancet*, signs point in that direction. The report highlights a troubling trend: a worldwide rise in physical inactivity, notably prominent in certain regions, including India.

In India, 49.4 per cent of adults did not meet the recommended levels of physical activity in 2022, followed closely by Pakistan at 45.7 per cent, according to the

The study also revealed that a significantly higher proportion of women in India (57 per cent) were insufficiently active compared to men (42 per cent).

In India, a little over 22 per cent of adults did not meet the recommended levels of physical activity in the year 2000, while in 2010, close to 34 per cent of the adults were insufficiently physically active, the researchers found. They projected that in 2030, 60 per cent of the adults could be insufficiently engaging in physical activity, should current trends continue.

This also reflects the broader trends across South Asia. On average, women in the region were 14 per cent more likely than men to

9.9 8.2

▶ Physical activity

encompasses all

including walking,

active recreation, &

household chores

cycling, sports,

forms of

report insufficient physical activity levels.

An international team of researchers,

including those from the World Health Organization (WHO), reported that the South

Asian region ranked second highest globally (at 45 per cent) for adults being insufficiently

physically active, after the high-income Asia

much lower inactivity rates at 9.9 per cent

third of the adults globally (31.3 per cent) were

'insufficiently physically active' - defined (by

WHO) as not performing at least 150 minutes

of moderate-intensity physical activity per

week or 75 minutes of vigorous-intensity

inactivity among adults, with a five percent-

age point increase observed between 2010

and 2022. If this trend continues, inactivity

levels could rise to 35 per cent by 2030, steer-

ing the world further away from the global

target to reduce physical inactivity by then.

opportunity to reduce cancer, heart

disease, and improve mental well-being

through increased physical activity," said

Tedros Adhanom Ghebreyesus, WHO

These new findings highlight a lost

They noted a concerning rise in physical

In contrast, Bhutan and Nepal report

Authors of the study found that about a

Pacific region (at 48 per cent).

and 8.2 per cent, respectively.

physical activity per week.

Director-General.

movement

Pakistan

The Ministry of Labour and Employment on Wednesday said it has sought a report from the Tamil Nadu labour department, amid reports that married women are not being allowed to work at Foxconn India's Apple iPhone unit in Sriperumbudur.

"[The] Ministry of Labour and Employment has taken note of various media reports claiming that married women are not being allowed to work at Foxconn India Apple iPhone plant. In light of these reports, the ministry has requested a detailed report from the labour department of the Tamil Nadu government," the labour ministry said. The statement added that Section 5 of the Equal Remuneration Act, 1976 stipulated that no discrimination was to be made while recruiting male and female workers.

"As the state government is the appropriate authority for tinue," according to Reuters.

the enforcement and administration of the provisions of this Act, hence the report has been sought from the state government. The office of the regional chief labour commissioner has also been directed to furnish the factual report," the statement added.

NO HIRING OF MARRIED WOMEN AT FOXCONN

Labour ministry seeks

report from TN govt

Reuters has reported that the Taiwan-headquartered manufacturer relaxes this practice of not hiring married women during high-production periods only when it faces labour shortages.

In 1965, a Supreme Court judgment struck down a pharmaceutical company's practice of terminating the employment of women in its packaging and labelling department when they got married. The four judges in the case determined there was "nothing to show that married women would necessarily be more likely to be absent than unmarried women," and "there is no good and convincing reason why such a rule should con-

Will take 'appropriate' action in warehouse case: Amazon

After accepting lapses at its warehouse in Harvana's Manesar, Amazon India has claimed to have started "disciplinary proceedings" against those who allegedly tried to stop workers from taking water and toilet breaks.

A company spokesperson told Business Standard that Amazon was committed to the safety and well-being of its employees.

"Disciplinary proceedings have been initiated against the people involved in the incident. The process is underway and we are looking at a potential case of 'separation' for the people involved within the next week or two," the spokesperson added.

Last month, various media reports suggested that its employees were forced to take a pledge that they "will achieve the target, and refrain from using the washroom and avoid drinking water breaks," so as to complete the target.

Earlier on Monday, in a detailed response to the central labour ministry's query on the matter, Amazon India admitted to workplace safety lapses at the warehouse.

"Amazon India was in constant touch with the relevant authorities and encourages them to visit its facilities to see not just the workplaces but also how the policies are implemented," the spokesperson added. SHIVA RAJORA



SPORTS WATCH

mybs.in/t20wc



T20 WORLD CUP: INDIA TO PLAY ENGLAND **IN 2ND SEMIFINAL TODAY**

India will take on defending champions England in the second semifinal of the T20 World Cup 2024 at Providence Stadium, Guyana at 8 PM IST on Thursday. The second semifinal, between South Africa and Afghanistan, will also be played on Thursday, at Brian Lara Stadium, Trinidad at 6 AM IST. The winners of these games will meet in the summit clash at Kensington Oval, Bridgetown, Barbados, on Saturday (8 PM IST).

COMPILED BY ANISH KUMAR

HEAD-TO-HEAD IN T20s

SA vs AFG Matches played South Africa won Afghanistan won **IND vs ENG** 23 Matches Played

India won

England won

12

Opinion, **Insight Out**

AWFIS SPACE SOLUTIONS LIMITED

Corporate Identity Number: U74999DL2014PLC274236 Registered and Corporate Office: C-28-29, Kissan Bhawan, Qutab Institutional Area, New Delhi - 110016, India, Website: www.awfis.com, Email: cs.corp@awfis.com, and a read the comment of the comm Telephone: +91 11 4106 1878

Members are hereby informed that pursuant to the provisions of Section 108 and 110, and other applicable provisions of the Companies Act. 2013, as amended (the "Act"), read together with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended (the "Management Rules"), General Circular Nos. 14/2020 dated April 8, 2020, 17/2020 dated April 13, 2020, 20/2020 dated May 5, 2020, 22/2020 dated June 15, 2020, 33/2020 dated September 28, 2020, 39/2020 dated December 31, 2020, 10/2021 dated June 23, 2021, 20/2021 dated December 8, 2021, 3/2022 dated May 5, 2022, 11/2022 dated December 28 2022, and 09/2023 dated September 25, 2023, issued by the Ministry of Corporate Affairs, Government of India (the "MCA Circulars"), Secretarial Standard on General Meetings issued by the Institute of Company Secretaries of India, Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended (the "LODR Regulations") and any other applicable law, rules and regulations (including any statutory modification(s) or re-enactment(s) thereof, for the time being in force), the approval of members of Awfis Space Solutions Limited (the "Company") is sought for the following resolutions by way of remote e-voting ("e-voting") process:

	•	,	,	0 (0 / 1
S. No.				Particulars	
1.	Appointment of Mr. Rajesh	Kh	araban	da (DIN: 01495928)	as Non-Executive Non-Independent
	Director of the Company;				

2. Alteration of Articles of Association of the Company. Pursuant to the MCA circulars, the Company has completed the dispatch of electronic copies of the Postal

Ballot Notice along with the explanatory statement on Wednesday, June 26, 2024, through electronic mode to those Members whose email addresses are registered with the Company / Depository Participant(s) as on Friday, June 21, 2024 ("Cut-off Date"). The said Notice is also available on the website of the Company: https://www.awfis.com/investor-

relations/initial-public-offer/compnayAnnouncement, the relevant section of the website of BSE Limited ("BSE"): www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited ("NSE"): www.nseindia.com and on the website of National Securities Depository Limited ("NSDL"): $\underline{www.evoting.nsdl.com}.$ In accordance with the provisions of the MCA circulars, Members can vote only through e-voting process

The voting rights of the Members shall be reckoned on the basis of the equity shares of the Company held by them as on the Cut-off Date. Any person who is not a shareholder of the Company as on the Cut-off Date shall treat the Postal Ballot Notice for information purposes only.

The Company has engaged the services of National Securities Depository Limited ("NSDL") for the purpose of providing e-voting facility to all its Members. The e-voting facility will be available during the following

period:		
Commencement of e-voting period	Thursday, June 27, 2024 at 09:00 a.m. (Indian Standard Time)	
Conclusion of e-voting period	Friday, July 26, 2024 at 05:00 p.m. (Indian Standard Time)	
Cut-off Date for eligibility to vote	Friday, June 21, 2024	

Members who have not updated their e-mail address are requested to register the same in respect of shares held by them in electronic form with the Depository through their Depository Participant and in respect of shares held in physical form by writing to Company's Registrar and Share Transfer Agent Bigshare Services Private Limited either by email to bssdelhi@bigshareonline.com or by post to 302, Kusal Bazar, 32-33 Nehru Place, New Delhi-110053.

The e-voting facility will be disabled by NSDL immediately after 5.00 p.m. IST on Friday, July 26, 2024.

The Board has appointed Mr. Rupinder Singh Bhatia, Practicing Company Secretary (FCS: 2599 and CP No. 2514) Practicing Company Secretary, as scrutinizer ("Scrutinizer") for conducting the e-voting process in a fair and transparent manner.

In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call: 022 - 4886 7000 and 022 - 2499 7000 or send a request at evoting@nsdl.com.

The Scrutinizer will submit his report to the Chairman or any other person authorized by the Chairman after the completion of scrutiny of the e-voting, and the result will be announced within 48 hours from the conclusion of e-voting i.e. on or before 5.00 p.m. Indian Standard Time on Sunday, July 28, 2024, and will also be displayed on the Company's website (https://www.awfis.com/investors-relation) and on the website of NSDL (https://www.evoting.nsdl.com), and communicated to the stock exchanges, depository, registrar

For any queries or grievances pertaining to e-voting, shareholders are requested to contact Bigshare Services Private Limited either by email at <u>bssdelhi@bigshareonline.com</u> or by post at 302, Kusal Bazar, 32-33, Nehru Place, New Delhi-110053, Shareholders can also contact; Pallavi Mhatre, Senior Manager, National Securities Depository Limited, 4th Floor, A Wing, Trade World, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai-400013, India, Contact details: evoting@nsdl.com Contact number-022 -4886 7000 and 022 - 2499 7000.

> For Awfis Space Solutions Limited **Amit Kumar Company Secretary and Compliance Officer** Membership No. ACS No. A31237

mahindra **LOGISTICS**

MAHINDRA LOGISTICS LIMITED

Registered Office: Mahindra Towers, P. K. Kurne Chowk, Worli, Mumbai - 400 018. Corporate Office: 10th & 11th Floor, Arena Space, Near Majas Bus Depot, Jogeshwari Vikhroli Link Road, Jogeshwari (E), Mumbai – 400 060. Website: www.mahindralogistics.com • E-mail: cs.mll@mahindralogistics.com

• Phone: +91 22 6836 7900 / 2490 1441 CIN: L63000MH2007PLC173466 • ISIN: INE766P01016

NOTICE OF THE 17TH ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING/ ANY OTHER AUDIO-VISUAL MEANS AND ELECTRONIC VOTING

Notice is hereby given that the 17th Annual General Meeting ("AGM") of Mahindra Logistics Limited ("the Company") is scheduled to be held on Monday, 22 July 2024 at 3:30 p.m. (IST) through Video Conferencing ("VC")/ Other Audio Visual Means ("OAVM") facility to transact the businesses as set forth in the Notice convening the AGM through electronic means in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with the Rules made thereunder, the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations"). Ministry of Corporate Affairs ("MCA") General Circular No. 09/2023 dated 25 September 2023 and the SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 dated 7 October 2023 and other relevant circulars issued by MCA and SEBI permitting conduct of the Annual General Meetings through VC/OAVM facility. The proceedings of the AGM shall be deemed to be conducted at the Registered Office of the Company i.e., Mahindra Towers, P. K. Kurne Chowk, Worli, Mumbai-400 018.

Members can attend and participate in the AGM through the VC/OAVM facility only. Attendance of Members through VC/OAVM at the AGM will be counted for the purpose of reckoning the guorum under Section 103 of the Act.

Links for attending the AGM through VC/OAVM facility

For all Members through NSDL Portal:	https://www.evoting.nsdl.com
For Individual Members holding shares in demat mode with NSDL:	https://eservices.nsdl.com
For Individual Members holding shares in demat mode with CDSL:	https://web.cdslindia.com

Detailed instructions for attending the AGM are provided in the Notice of the AGM.

Completion of dispatch of Notice of the AGM and Annual Report 2023-24 by electronic mode

In compliance with the MCA and SEBI Circulars, the Company has completed dispatch of the Notice of the AGM along with the Integrated Annual Report for the financial year 2023-24 on 25 June 2024 through electronic mode to those Members whose e-mail address is registered with the Company/Registrar and Transfer Agent ("RTA")/the Depository Participant(s) as on 21 June 2024 and other persons entitled to receive it. The physical copies of the Notice of the AGM and the Integrated Annual Report for the financial year 2023-24 will be dispatched to those Members who request for the same. The Notice of the AGM and Integrated Annual Report for the financial year 2023-24 can also be accessed online at the

- Company's Website: https://mahindralogistics.com/financial-results/annual-result/
- Website of e-voting agency: https://www.evoting.nsdl.com/
- Websites of the Stock Exchanges: https://www.bseindia.com and https://www.nseindia.com.

Manner of casting votes electronically

In compliance with the provisions of Section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of the SEBI Listing Regulations, the Company is pleased to offer electronic voting facility to all its Members to exercise their right to vote on all the resolutions proposed to be transacted at the AGM as set forth in the Notice. The Members (holding shares in either demat or in physical mode) may cast their votes using an electronic voting system prior to the AGM ("remote e-voting") or electronically during the AGM ("e-voting"). The Company has engaged the services of National Securities Depository Limited ("NSDL") to provide remote e-voting facility and e-voting during the AGM.

A person, whose name is recorded in the Register of Members or the List of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the cut-off date for e-voting i.e., Monday, 15 July 2024 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as e-voting during the AGM.

Commencement of Remote e-voting	Wednesday, 17 July 2024 at 9:00 a.m. (IST)
End of Remote e-voting	Sunday, 21 July 2024 at 5:00 p.m. (IST)

The remote e-voting facility shall be forthwith blocked by NSDL and remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time. A person who is not a Member as on the said cut-off date should treat this Notice for information purposes only.

Members, who have not cast their vote through remote e-voting can exercise their voting rights through e-voting during the AGM. A Member may participate in the AGM through VC/OAVM even after exercising his/her right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again during the AGM.

A person who acquires equity share(s) and becomes a Member of the Company after the dispatch of the Notice and holds equity shares as on the cut-off date, will be entitled to vote via remote e-voting/e-voting during the AGM as well as attend the AGM electronically by using his/her/their existing registered DP ID and Client ID (in case of NSDL) or beneficiary ID (in case of CDSL) and password as per instructions given in the Notice of the AGM or may obtain login ID and password by sending a request to evoting@nsdl.com.

Members are requested to refer to the detailed instructions for the manner of remote e-voting and e-voting and participation in the AGM as

provided in notes to the Notice of the AGM. Assistance on e-voting and participation at the AGM

In case of any queries or grievances regarding remote e-voting and e-voting at the AGM or for technical assistance for VC/OAVM participation, Members can contact NSDL on e-mail at evoting@nsdl.com or call at 022 4886 7000 or contact Mr. Amit Vishal, Deputy Vice-President or Ms. Pallavi Mhatre, Senior Manager, NSDL, 4th Floor, A - Wing, Trade World, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai 400013 or refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") for Members and e-voting user manual for Members available at the download section

Request to register/update KYC and Nomination Details and claim unclaimed Dividend

previous financial years, if unclaimed, by sending an e-mail request to rnt.helpdesk@linkintime.co.in

Members are requested to register/update their KYC details (PAN, address, mobile number, e-mail, Bank Account) and nomination details with Link Intime India Private Limited, Registrar and Transfer Agent of the Company ("RTA") in Form ISR-1 (for Members holding shares in physical form) or with their Depository Participants (for demat holders). Members are also requested to claim and encash dividends declared for the

> For Mahindra Logistics Limited Jignesh Parikh **Company Secretary**

Date : 27 June 2024

Opinion.

Monday to Saturday

To book your copy,

sms reachbs

to **57575** or

email order@bsmail.in

Business Standard



Date: June 27, 2024

Place: New Delhi































otocorp.com , वेबसाइट: www.here

तदद्वारा सूचित किया जाता है कि हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड ("कंपनी") के सदस्यों की 41^न वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") सामान

िरमुद्ध हैं जूपरी पिरम्प जाति हैं। कि इही जीजिसने (जिस्ति हैं) के माध्यम की में विद्या पानी जायिक जोने बेटक र रिजीव हैं। स्विच्छा के स्वर्ध विद्या 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल, 2020, 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020, 20/2020 दिनांक 5 मई, 2020 और इस संबंध में जारी किए गए बाद के परिपन्न, सबसे नवीनतम सामान्य परिपन्न संख्या 9/2023 दिनांक 25 सितंबर, 2023 है, जिसे कॉपॉरेंट कार्य मंत्रालय ('एमसीए') और भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड ('सेबी') द्वारा 12 मई, 2020, 15 जनवरी, 2021, 13 मई, 2022, 5 जनवरी, 2023 और 7 अक्टूबर, 2023 के परिपन्नों (सामुहिक रूप से 'परिपन्न' के रूप में संदिभित) के माध्यम से जारी किया गया है के अनुपालन में एजीएम की सूचना में निर्धारित व्यवसायों को पूरा करने के लिए सीमवार, 12 अगस्त, 2024 को सुबह 11:30 बजे भारतास. वीडियो कॉन्केंग्रेस ('वीसी')(अन्य ऑडियो विजुञ्ज साधनों ('ओएवीएम') के माध्यम से आयोजित की जाएगी। वीसी/ओएवीएम सुविधा नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ("एनएसडीएल") द्वारा प्रदान की जा रही है। एजीएम की सचना और वित्त वर्ष 2023-24 की वार्षिक रिपोर्ट केवल उन सदस्यों को ईमेल द्वारा भेजी जाएगी, जिनके ईमेल पते 5 जला

एजिएम को भूचना आर वित्त वर्ष २०२३-२४ को वाषिक रिपाट कवल उन सदस्या का इमेल द्वारी भजी जीएगा, जिनक इमेल पत 5 जुलाई २०२४ तक कंपनी/डिपॉजिटरी के पास पंजीकृत हैं। कंपनी एजीएम की सूचना और वित्त वर्ष २०२३-२४ की वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रति उन सदस्यों को भेजेगी, जो इसके लिए secretarialho@heromotocorp.com या einward.ris@kfintech.com पर अनुरोश करेंगे सदस्य ध्यान दें कि एजीएम की सूचना और वित्त वर्ष २०२३-२४ की वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट www.heromotocorp.com पर और उन स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट जहां कंपनी के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं, यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड <u>www.nseindia.com</u> और बीएसई लिमिटेड <u>www.bseindia.com</u> और एनएसडीएल की वेबसाइट <u>www.evoting.nsdl.com</u> पर र्भ सदस्य केवल वीसी/ओएवीएम सविधा के माध्यम से एजीएम में भाग ले सकते हैं। वीसी/ओएवीएम सविधा के माध्यम से भाग लेने वाले

सदस्यों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के दाहत कोरम की जिस्से होता में उत्तरा सुराया प्रमाय के माध्यम हो ज ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से एजीएम की सूचना में निर्धाटित व्यवसायों पर दूरस्थ रूप से गिना जाएगा। सदस्यों को एनएसडीएन की ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से एजीएम की सूचना में निर्धाटित व्यवसायों पर दूरस्थ रूप से अपना वोट डालने का अवसर मिलेगा। एजीएम में शामिल होने के निर्देश और एजीएम के दौरान ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से दूरस्थ ई-वोटिंग या वोट डालने में भाग लेने के तरीके

जिन सदस्यों ने अपना ईमेल पता पंजीकृत/अद्यतित नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे नीचे दिए गए निर्देशों का पालन करें और अपन

भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे फॉर्म ISR-। की भौतिक प्रति कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंच ("आरटीए") को प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ नीचे दिए गए पते पर जमा करके अपने ईमेल पते पंजीकृत/अपडेट करें:

केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड

(पूर्व में केफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जात)

सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट नंबर ३१ और ३२, वित्तीय जिल

नानकरामगुडा, सेरिलिंगमपल्ली मंडल, हैदराबाद - ५०००३२.

ISR फॉर्म वेंब-लिंक https://ris.kfintech.com/clientservices/isc/isrforms.aspx से डाउनलोड किए जा सकते हैं। अभौतिक फॉर्म में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ अपने ईमेल पते पंजीकृत/अपडेट कर

अकित मूल्य वाले इत्किरी शयर पर 40/- रुपये का अनिम लाभांश देने की सिफारिश की हो यदि आगामी वार्षिक आम बेठक में सदस्य अकित मूल्य वाले इत्किरी शयर पर 40/- रुपये का अनिम लाभांश देने की सिफारिश की हो यदि आगामी वार्षिक आम बेठक में सदस्य द्वारा लाभांश को मंजूरी दे दी जाती है, तो 11 सितंबर, 2024 तक इसका भुगतान कर दिया जाएगा। सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपन लेक्ट्रॉनिक क्लिय्टिंग सेवा ("ईसीएस") अधिदेश को पूर्ण बैंक विवरण के साथ अपडेट/पंजीकृत करें ताकि लाभांश सीधे उनके बैंक खाते में निम्नलिखित तरीके से प्राप्त हो सके:

यदि शेयर अभौतिक रूप में रखे गए हैं, तो आवश्यक दस्तावेज, डिपोजिटरी प्रतिभागियों के पास जमा कराएं, जिनके पास डीमैट खाता है यदि शेयर भौतिक रूप में हैं, तो फॉर्म IsR-1 के साथ (1) हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र की भौतिक प्रति जिसमें सदस्य का नाम, फोलियो नंबर, बैंक विवरण (अर्थात बैंक खाता संख्या, बैंक और शाखा का नाम और पता, IFSC, MICR विवरण), (ii) पैन कार्ड की स्व-सत्यापित प्रति और (iii) रह चैक का एक पन्ना कंपनी के आरटीए के पते पर जमा करें।

सदस्य ध्यान दें कि आयकर अधिनियम, १९६१ ("अधिनियम"), जिसे वित्त अधिनियम, २०२० द्वारा संशोधित किया गया है, यह अनिवा करता है कि 1 अप्रैल, 2020 के बाद किसी कंपनी द्वारा भुगतान या वितरित किए गए लाभोश, सदस्यों के हाथों में कर योग्य होंगे। इसलिए कंपनी को अंतिम लाभोश का भुगतान करते समय स्रोत पूर कर ("टीडीएस") काटना आवश्यक होगा, यदि एजीएम में अनुमोदित किया जाता है। कंपनी को लाग अनसाँर उचित टीडीएस दर निधारित करने में सक्षम बनाने के लिए, सदस्यों से अनरोध है कि वे अधिनियम वे ग्रावधानों के अनुसार अपने दस्तावेज़ जमा करें। कंपनी इस संबंध में सभी सदस्यों को उनके पंजीकृत ईमेल पते पर एक ईमेल भी भेजेर्ग यदि कंपनी इलेक्ट्रॉनिक बैंक अधिदेश के पंजीकरण न होने के कारण किसी सदस्य को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से लाभांश का भुगतान करने में असक्षम होगी, तो कंपनी ऐसे सदस्य को लाभांश प्रेषित करेगी।

यह नोटिस कंपनी के सभी सदस्यों की जानकारी और लाभ और एमसीए और सेबी के लागू परिपत्रों के अनुपालन में जारी किया जा रहा है। कृते हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड

धीरज कपू कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी

इंडिया शेल्टर फाइनैंस कॉरपोरेशन लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः प्लॉट-15, छटवीं मंजिल, सेक्टर-44, इंस्टीट्यूशनल एरिया, गुरुग्राम, हरियाणा-122002 शाखा कार्यालयः प्लॉट नं. 277 ईस्ट, टैगोर नगर, डीसीएम के निकट, अजमेर रोड, जयपुर-302021 चंकि, इंडिया शेल्टर फाइनैंस एण्ड कॉरपोरेशन लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी के रूप में अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभृतिकरण एवं वित्तीय संपत्तियों के पुनर्गठन तथा प्रवर्त

प्रतिभूति) हित अधिनियम, 2002 के अधीन तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग के तहत यहां बाद में उल्लेख किए गए खाते के समक्ष निर्दिष्ट तारीख को मांग सूचना जारी की थी, जिसमें कर्जदार तथा सम्पत्ति के स्वत्याधिकारी/जमानतदाता को कथित सूचना की तारीख से 60 दिनों के अंदर रकम चुकता करने को कहा गया था। चूंकि सम्पत्ति के स्वत्वाधिकारी तथा अन्य द्वारा रकम चुकता करने में विफल होने फ प्रतद्वारा यहां नीचे उल्लेखित कर्जदारों तथा जन साधारण को सुचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने कथित अधिनियम की धारा 13(4) के साथ पठित उक्त नियम के नियम 8 एवं 9 के अधीन उनको प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग द्वारा प्रत्येक खाते के समक्ष उल्लेखित तारीख को यहां नीचे उल्लेखित सम्पतियों पर भौतिक कब्जा कर लिय है। अब, विशेष रूप से कर्जदारों तथा आम तौर पर जनसाधारण को संबंधित सम्पत्तियों के बारे में कोई भी सौदा न करने के लिए सतर्क किया जाता है तथा सम्पत्तिय के बारे कोई भी सौदा यहां नीचे उल्लेखित रकम तथा उस पर ब्याज, लागत इत्यादि के लिए इंडिया शेल्टर फाइनैंस कॉरपोरेशन लिमिटेड का प्रभार का विषय होगा

	丣.		प्रभारित/गिरवी पर रखी गई सम्पत्ति	मांग सूचना की तारीख, मांग सूचना की	कब्जा की	
ı	सं.	(सम्पत्ति के स्वत्वाधिकारी) का नाम, ऋण खाता	(निम्नलिखित सम्मिलित सम्पत्ति का सम्पूर्ण एवं	तारीख को बकाया रकम	तारीख	
ı		संख्या	सर्वांगीण हिस्सा) का विवरण			
ſ	1	श्रीमती रोहिणी शर्मा एवं श्री अंकुश जोशी निवासीः				
ı			प्राइम सुइट्स, जयसिंहपुरा भनक्रोटा, जयपुर			
ı		प्राइम सुइट्स, जयसिंहपुरा भनकोटा, जयपुर राजस्थान	(राजस्थान) 302026 का सम्पूर्ण एवं सर्वांगीण	- (रुपये बीस लाख तिरसठ हजार चौसठ		
ı		302026, और एक पताः पी नं. बी-401 यूडीबी	हिस्सा। चौहदीः दक्षिण में: सड़क, पूर्व में: अन्य भूमि,	मात्र) साथ में दिनांक 11.01.2024 से भुगतान		
ı		इकोस्पेस भाष्कर एनक्लेव पत्रकार कॉलोनी जयपुर	पश्चिम में: अन्य भूमि, उत्तर में: 100 फीट।	की तारीख तक ब्याज तथा अन्य शुल्क एवं		
ı		राजस्थान 302020 ऋण खाता नं.:	-	लागत की रकम।		
ı		HL30CHLONS000005013878/AP-10029483				
Ì		श्रीमती राजकुमारी वर्मा एवं श्री मनोज कुमार वर्मा	एफ नं. 720, ब्लॉक-एके नं. 210 तथा 211 रामपुरा	मांग सूचनाः 12.04.2024, दिनांक	21/06/2024	
ı	2	निवासीः लमशोनांग खलेरियट ईस्ट जयंती हिल्स	सांगानेर जयपुर में 414.15 वर्ग फीट परिमाप की	10.04.2024 को बकाया रु. 11,64,382/		
ı		मेघालय 793210, और एक पताः एफ नं. 720,	सम्पत्ति का सम्पूर्ण एवं सर्वांगीण हिस्सा। चौहदीः	- (रुपये ग्यारह लाख चौसठ हजार तीन सौ		
ı		ब्लॉक-एके नं. 210 तथा 211 रामपुरा सांगानेर	पूर्व में: खुला क्षेत्र, पश्चिम में: फ्लैट नं. 726, उत्तर	बयासी मात्र) साथ में दिनांक 11.04.2024		
ı		302020 राजस्थान ऋण खाता नं.:	में: फ्लैट नं. 719, दक्षिण में: लिफ्ट एवं सीढ़ी।	से भुगतान की तारीख तक ब्याज तथा अन्य		
ı		HL30MILONS000005027389/AP-10041736		शुल्क एवं लागत की रकम।		
ſ		श्रीमती विनोद कंवर एवं श्री रोहिताश सिंह शेखावत	प्लॉट नं. 8 गणेश नगर-17, निवारू रोड, ग्राम	मांग सूचनाः 11.12.2021, दिनांक	24/06/2024	
ı	3	निवासी: पी नं. 8 गणेश नगर-17, निवारू रोड	निवारु, जयपुर, राजस्थान 302012 में स्थित सम्पत्ति	31.12.2021 को बकाया रु.24,98,994.85/		
ı		302012 जयपुर, राजस्थान ऋण खाता नं.:	का सम्पूर्ण एवं सर्वांगीण हिस्सा। चौहदीः पूर्व में:	- (रुपये चौबीस लाख अनठानवे हजार नौ सौ		
ı		HLJAMILONS00000 5008253	प्लॉट नं. 09, पश्चिम में: 30 फीट सड़क, उत्तर में:	चौरानवे एवं पैसे पच्चासी मात्र) साथ में दिनांक		
ı			30 फीट सड़क, दक्षिण में: प्लॉट नं. 7-ए	01.01.2022 से भुगतान की तारीख तक		
ı				ब्याज तथा अन्य शुल्क एवं लागत की रकम।		
ı	4	2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4				

किसी भी तरह की जानकारी के लिए कृपया श्री विनय राणा (+91 7988605030) एवं श्री देवेन्द्र सिंह (+91 8560017658) से सम्पर्क करें। (अधिकृत अधिकारी), कृते इंडिया शेल्टर फाइनैंस कॉरपोरेशन लि

awfis

ऑफिस स्पेस सॉल्यूशंस लिमिटेड

सीआईएन: U74999DL2014PLC274236 पंजीकृत और कॉर्पोरेट कार्यालय: सी-28-29, किसान भवन, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली-110016, भारत,

वेबसाइट: <u>www.awfis.com</u>, ईमेल: <u>cs.corp@awfis.com</u>, टेलीफोन: +91 11 4106 1878

सदस्यों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, २०२३, यथासंशोधित (''अधिनियम'') की धारा १०८ एवं १९० एवं अन्य लाग प्रावधानों के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, २०१४, यथासंशोधित (''प्रबंधन नियम'' कॉर्पोरेट कार्य मत्रालय, भारत सरकार दारा जारी किए गए सामान्य परिपत्र सं. १४/२०२० दिनांक ८ अप्रैल, २०२०, १७/२०२० दिनांक १३ अप्रैल, २०२०, २०/२०२० दिनांक ५ मई, २०२०, २२/२०२० दिनांक १५ जून, २०२०, ३३/२०२० दिनांक २८ सितम्बर, २०२०, ३९/२०२० दिनांक ३१ दिसम्बर, २०२०, १०/२०२१ दिनांक २३ जून, २०२१, २०/२०२१ दिनांक ८ दिसम्बर, २०२१, ३/२०२२ दिनांक ५ मई, २०२२, ११/२०२२ दिनांक २८ दिसम्बर, २०२२ एवं ०९/२०२३ दिनांक २५ सितम्बर, २०२३ (''एमसीए परिपत्र''), भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सामान्य बैठकों पर सचिवीय मानक, भारतीय प्रतिभृति और विनिमयं बोर्ड (सूचीयन बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, २०१५, यथासंशोधित (''एलओडीआर विनियम'') के विनियम ४४ और अन्य लागू कानूनों, नियमों एवं विनियमों (वर्तमान में उस पर लागू कोई सांविधिक संशोधन या पुन: अधिनियमन सहित) के अनुसरण में रिमोट ई-वोटिंग (''ई-वोटिंग'') प्रक्रिया के माध्यम से निम्नलिखित प्रस्तावों के लिए ऑफिस स्पेस सॉल्यूशंस लिमिटेड (''कंपनी'') के सदस्यों की मंजूरी मांगी गई है।

क्र.स.	विवरण
9	कंपनी के गैर–कार्यकारी गैर–स्वतंत्र निदेशक के रूप में श्री राजेश खरबंदा (डीआईएन: ०१४९५९२८) की नियुक्ति ;
٧	कंपनी के संस्था के अंतर्नियम में परिवर्तन

एमसीए परिपत्रों के अनुसार, कंपनी ने बुधवार, २६ जून, २०२४ को उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से व्याख्यात्मक विवरण के साथ डाक मतपत्र सूचना की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां भेजने का काम पूरा कर लिया है जिनके ईमेल पते शुक्रवार, २१ जून, २०२४ (''कट-ऑफ तिथि'') को कंपनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागी के साथ पंजीकृत हैं।

कथित सूचना कंपनी की वेबसाइट https://www.awfis.com/investor-relations/initial-public- offer/compnayAnnouncement, बीएसई लिमिटेड (''बीएसई'') की वेबसाइट www.bseindia.com एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (''एनएसई'') की वेबसाइट <u>www.nseindia.com</u> पर संगत सेक्शन और नेशनल सिक्योरिटीज

डिपॉजिटरी लिमिटेड (''एनएसडीएल'') की वेबसाइट <u>www.evoting.nsdl.com</u> पर भी उपलब्ध है। एमसीए परिपत्रों के प्रावधानों के अनुसार सदस्य केवल ई-वोटिंग प्रक्रिया के माध्यम से मतदान कर सकते हैं। सदस्यों के मतदान अधिकार की गणना कट–ऑफ तिथि को उनके पास मौजूद कंपनी के इक्विटी शेयरों के आधार पर की जाएगी। कोई भी व्यक्ति जो कट–ऑफ तिथि को कंपनी का शेयरधारक नहीं है डाक मतपत्र सूचना को केवल सूचना के उद्देश्य मानेगा।

कंपनी ने अपने सभी सदस्यों को ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (''एनएसडीएल'') की सेवाएं ली हैं। ई–वोटिंग सुविधा निम्नलिखित अवधि के दौरान उपलब्ध होगी:

()-1		
ई–वोटिंग अवधि प्रारंभ	बृहस्पतिवार, २७ जून, २०२४ को प्रात: ९.०० बजे (भारतीय मानक समय)	
ई–वोटिंग अवधि समाप्त	शुक्रवार, २६ जुलाई, २०२४ को सायं: ५.०० बजे (भारतीय मानक समय)	
मतदान की पात्रता के लिए कट-ऑफ तिथि	शुक्रवार, २१ जून, २०२४	

ई-वोटिंग सुविधा शुक्रवार, २६ जुलाई, २०२४ को सायं ५.०० बजे आईएसटी के बाद एनएसडीएल द्वारा तुरंत हटा ली जाएगी। सदस्यगण जिन्होंने अपना ई–मेल पता अपडेट नहीं कराया है, उनसे अनुरोध है कि वे इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में धारित शेयरों के संबंध में अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागी के पास और भौतिक प्रारूप में धारित शेयरों के संबंध में कंपनी के रजिस्टार एवं शेयर टांसफर एजेंट बिगशेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के पास लिखित में या तो ई-मेल <u>bssdelhi@bigshareonline.com</u> या डाक द्वारा ३०२, कुसल बाजार, ३२-३३ नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-११००५३ के पास इसे अपडेट कराएं।

बोर्ड ने ई-वोटिंग प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संचालित करने के लिए श्री रूपिंदर सिंह भाटिया, पेशेवर कंपनी सेक्रेटरी, एफसीएस: २५९९ और सीपी नंबर: २५१४) पेशेवर कंपनी सेक्रेटरी को संवीक्षक (''स्क्रूटिनाइज़र'') नियुक्त किया है। किसी भी पूछताछ के लिए आप www.evoting.nsdl.com पर डाउनलोड सेक्शन पर उपलब्ध शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग यूजर मैन्अल का अवलोकन कर सकते हें या ०२२-४८८६ ७००० एवं ०२२–२४९९ ७००० पर कॉल कर सकते हैं या <u>evoting@nsdl.com</u> पर अनुरोध भेज सकते हैं।

ई-वोटिंग की जांच पूरी होने के बाद संवीक्षक अपनी रिपोर्ट अध्यक्ष या अध्यक्ष द्वारा अधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को प्रस्तुत करेगा और परिणाम ई-वोटिंग के समापन से ४८ घंटे के भीतर अर्थात् रविवार, २८ जुलाई, २०२४ को सायं ५.०० बजे भारतीय मानक समय तक या उससे पहले घोषित किया जाएगा और इसे को कंपनी की वेबसाइट (https://www.awfis.com/investorsrelation) एवं एनएसडीएल की वेबसाइट (https://www.evoting.nsdl.com) पर भी प्रदर्शित किया जाएगा तथा स्टॉक एक्सचेंजों, डिपॉजिटरी, रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट को सूचित किया गया।

ई–वोटिंग से संबंधित किसी भी प्रश्न या शिकायत के लिए शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे बिगशेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड से या तो ई-मेल bssdelhi@bigshareonline.com पर या ३०२, कुसल बाजार, ३२-३३, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-१९००५३ पर डाक द्वारा संपर्क करें। शेयरधारक निम्नलिखित से भी संपर्क कर सकते हैं: पल्लवी म्हात्रे, वरिष्ठ प्रबंधक, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, चौथी मंजिल, ए विंग, ट्रेड वर्ल्ड, कमला मिल्स कंपाउंड, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई-४०००१३, भारत, संपर्क विवरण: <u>evoting@nsdl.com</u> संपर्क नंबर- ०२२-४८८६ ७००० और ०२२-२४९९ ७०००

> कृते ऑफिस स्पेस सॉल्यूशंस लिमिटेड अमित कुमार कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी सदस्यता सं. एसीएस नं. ए३१२३७

बिज़नेस स्टैंडर्ड नई दिल्ली | गुरुवार, 27 जून 2024

Form No. 3 [See Regulation-15 (1)(a)] / 16(3)] DEBTS RECOVERY TRIBUNAL, JAIPUR Case No.: 0A/1518/2023

Summons under sub-section (4) of section 19 of the Act, read with sub-rule (2A) of rule 5 of the Debt Recovery Tribunal (Procedure) Rules, 1993. Exh. No.: 12229

STATE BANK OF INDIA MS SHIV SHAKTI ROLLER FLOUR MILLS KALA

1) MS SHIV SHAKTI ROLLER FLOUR MILLS KALA /W/S/O. VIPIN KALA MG ROAD RANI CHANNI ROAD, KHERWARA

Duaipur, KAJASTHAN (2) MR. VIPIN KALA S/D PRAKASH CHANDRA . MG ROAD, RANI CHANNI ROAD, KHERWAR, DAIPUR, RAJASTHAN-313803 3) SH. PRAKASH CHANDRA KALAL S/O MOOL

HAND KALAL , MG ROAD, RANI CHANNI ROAD, KHERWARA, JOAIPUR, RAJASTHAN-313803 4) NIRMALA DEVI W/O SH. PRAKASH CHANDRA

KALAL 1, MG ROAD, RANI CHANNI ROAD, KHERWARA, UDAIPUR, RAJASTHAN-313803

SUMMONS

WHEREAS, **OA/1518/2023** was listed before to be on the property of the presiding **Officer/Registrar** on the property of the pr Hon ble Presiding Officer/Registral of 12.04.2024.
WHEREAS this Hon'ble Tribunal is pleased to issue summons/notice on the said Application under section 19(4) of the Act, (OA) filed against you for recovery of debts of

n accordance with sub-section (4) of section 19 of the Act, you, the defendants are directed as

or the Act, you, the defendants are directed as under:

(i) to show cause within thirty days of the service of summons as to why relief prayed for should not be granted. (ii) to disclose particulars of properties or assets other than properties and assets specified by the application. (iii) You are restrained from dealing with or disposing of secured assets or such other assets and properties disclosed under serial number 3A of the original application, pending hearing and disposal of the application for attachment of properties. (iv) You shall not transfer by way of sale, lease or otherwise, except in the ordinary course of his business any of the assets over which security interest is created and / or other assets and properties specified or disclosed which security interest is created and / or othe assets and properties specified or disclose under serial number 3A of the original application without the prior approval of the Tribunal. (y) 'on shall be liable to account for the sale proceed realised by sale of secured assets or other asset and properties in the ordinary course of busines and deposit such sale proceeds in the accoun maintained with the bank or financial institution holding security interest over such assets.

holding security interest over such assets. You are also directed to file the written statement with a copy thereof furnished to the applicant and to appear before Registrar on 08.11.2024 at 10.30 AM failing which the application shall be heard and decided in your absence. Given under my hand and the seal of this Tribunal on this date 18.65.2024. 18.05.2024.

Assistant Registra (Seal) Debts Recovery Tribunal, Jaipu

DEBTS RECOVERY TRIBUNAL, JAIPUR

First Floor, Sudharma-II, Lal Kothis pping Center, Tonk Road, Jaipur-302015 Case No.: 0A/68/2024

iummons under sub-section (4) of section 15 of the Act, read with sub-rule (2A) of rule 5 of he Debt Recovery Tribunal (Procedure) rules, 1993. STATE BANK OF INDIA

VS GOMATI

(1) GOMATI (1) GOMATI D/W/S/O/- MANOHAR LAL R/O 39, HANUMAN MANDIR KE PASS, 68 RB,67 RB, TEHSIL RAI SINGH NAGAR, GANGANAGAR, RAJASTHAN-335051

SUMMONS WHEREAS, OA/68/2024 was listed before Hon'ble Presiding Officer/Registrar or

12.03.2024.
WHEREAS this Hon'ble Tribunal is pleased to issue summons/notice on the said application under section 19(4) of the Act OA) filed against you for recovery of debts of Rs. 2909626/- (application along with copies of documents etc. annexed).

accordance with sub-section (4) of section 19 of the Act, you, the defendants are directed as under:-

arrected as under:-(ii) to show cause within thirty days of the service of summons as to why relief prayed for should not be granted. (ii) to disclose particulars of properties or assets other than orticulars of properties or assets other than properties and assets specified by the applicant under serial number 3A of the original application. (iii) You are restrained from dealing with or disposing of secured assets or such other assets and properties lisclosed under serial number 3A of the riginal application, pending hearing and isposal of the application for attachment of roperties. (iv) You shall not transfer by way if sale, lease or otherwise, except in the ordinary course of his business any of the issets over which security interest is created and / or other assets and properties specified or disclosed under serial number 3A of the or disclosed under serial number 3-0 of the original application without the prior approval of the Tribunal. (v) You shall be liable to account for the sale proceeds realised by sale of secured assets or other assets and roperties in the ordinary course of busines nd deposit such sale proceeds in the accour ons holding security interest ove ou are also directed to file the writter

tatement with a copy thereof furnished to ne applicant and to appear before Registra ne applicant and to appear before **Registra** on <u>04.10.2024</u> at 10:30 AM failing which the pplication shall be heard and decided in you sence. Given under my hand and the seal of his Tribunal on this date 13.05.2024.

Assistant Registrar Debts Recovery Tribunal, Jaipui

Form No. 3 [See Regulation-15 (1)(a)] / 16(3)] **DEBTS RECOVERY TRIBUNAL, JAIPUR**

Case No.: 0A/1469/2023 Summons under sub-section (4) of section 19 of the Act, read with sub-rule (2A) of rule 5 of the Debt Recovery Tribunal (Procedure) Rules, 1993. Exh. No.: 12147

STATE BANK OF INDIA

VS Umrao nath jogi 1) UMRAO NATH JOGI /W/S/O-HEMNATH , KARNI COLONY, JAIPUR, RAJASTHAN

IsoAt-LOT NO. 57, GAUTAM ENCLAVE, IARMADA, JAIPUR, RAJASTHAN-302013 2) SMT. PRABHATI W/O SHRI UMRAO

ÅTHJOGI /O 8, KARNI COLONY, JAIPUR, JAASTHAN-302032

LOT NO. 57, GAUTAM ENCLAVE JARMADA.JAIPUR.RAJASTHAN-302013 SUMMONS WHEREAS, **OA/1469/2023** was listed before Hon'ble Presiding **Officer/Registrar** or

2.04.2024. VHEREAS this Hon'ble Tribunal is pleased to ssue summons/notice on the saic upplication under section 19(4) of the Act OA) filed against you for recovery of debts of the said the said of the sai accordance with sub-section (4) of section of the Act, you, the defendants are

lirected as under:-i) to show cause within thirty days of the ervice of summons as to why relief prayed for hould not be granted. (ii) to disclose is hould not be granted. (ii) to disclose particulars of properties or assets other than oroperties and assets ospecified by the applicant under serial number 3A of the original application. (iii) You are restrained from dealing with or disposing of secured assets or such other assets and properties disclosed under serial number 3A of the original application, pending hearing and disposal of the application for attachment of properties. (iv) You shall not transfer by way of sale, lease or otherwise, except in the ordinary course of his business any of the sestes over which security interest is created and / or other assets and properties specified or disclosed under serial number 3A of the original application without the prior concount for the sale proceeds realised by account for the sale proceeds realised by o account for the sale proceeds realised by ale of secured assets or other assets and roperties in the ordinary course of business and deposit such sale proceeds in the account naintained with the bank or financia

our assets.

ou are also directed to file the writte tatement with a copy thereof furnished to tatement with a copy thereof furnished to he applicant and to appear before Registrar on 08.11.2024 at 10:30 AM failing which the plactication shall be heard and decided in your bbsence. Given under my hand and the seal of his Tribunal on this date 16.05.2024.

Debts Recovery Tribunal, Jaipur

PUBLIC NOTICE

Notice hereby given that one Sale Deec recorded in Book No. I, volume no.46 Pages 2121 to 2158, being no-12175 for the vear 2008 at D.S.R. Howrah, have been nisplaced from the custody of my client MEGHA SHARMA daughter of Mr. Pawan Kumar Sharma, who is current owner Accordingly G.D. was lodged with Delhi Crime Branch P.S. vide L.R. no-1748453/2024 dated 20.05.2024, any person having any claim regarding said Deed please intimate the under signed within 15 days from the date hereof falling which no such claim shal be entertained as advice.

Sangeeta Chakraborty ADVOCATÉ Howrah Judge's Court 98301 84071

फॉर्ज नं. CAA. २ (कंपनी अधिनियम, २०१३ की धारा २३० (३) और कंपनी (समझौता, व्यवस्था और विलय) नियम, २०१६ के नियम ६ और ७ के अनुसार) राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण, नई दिल्ली पीठ के समक्ष CA (CAA) & 37/ (ND)/2024 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 232

और अन्य लागू प्रावधानों के मामले में और इक्वस सेल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ कारगिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और उनके संबंधित शेयरधारकों और ऋणदाताओं के बीच

डक्वस सेल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के विलय की योजना के मामले मे

CIN: U51909DL2022FTC419401 कंपनी अधिनियम, २०१३ के प्रावधानों के तहत निगमित एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और इसका पंजीकृत कार्यालय ल्-६५, ग्राउंड फ्लोर, हौज खास, नई दिल्ली, भारत, ११००१६

आवेदक कंपनी १ ईमेल Id: India_cargillgroup@cargill.com हस्तांतरणकर्ता कंपनी

कारगिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, CIN: U15440DL1996PTC118008

हंपनी अधिनियम, १९५६ के प्रावधानों के तहत निगमित एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और इसका पंजीकृत कार्यालय ल-६५, ग्राउंड फ्लोर, हौज खास, नई दिल्ली, भारत, ११००१६ — आवेदक कंपनी २/

ईमेल Id: India_cargillgroup@cargill.com हस्तांतरणकर्ता कंपनी

इक्वस सेल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के इक्विटी शेयरधारकों और असुरक्षित ऋणदाताओं की बैठक की सूचना का विज्ञापन

यह अधिसूचना दी जाती है कि माननीय राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण, नई दिल्ली पी. **(''ब्यायाधिकरुण'')** द्वारा पारित_्र मई, २०२४ के शुद्धिपत्र आदेश के साथ पढ़े गए १ मई, २०२४ व गारेश (**न्यायाधिकरण के आदेश**) के अनुसार, न्यायाधिकरण ने इक्वस सेल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटे ''**कंपनी'' या ''हस्तांतरित कंपनी'')** के इंक्विटी शेयरथारकों और असुरक्षित ऋणदाताओं की बैठः २१ दिसंबर, २०२३ तक बुलाने का निर्देश दिया है, जिसका उद्देश्य कंपनी और उनके संबंधित शेयरधारव और ऋणदाताओं (**''योजना''**) के साथ कार्राग्ल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड **(''हस्तातरणकर्ता कंपनी''**) जिल्ह्य की प्रस्तावित योजना पर विचार करना है और यदि उपयुक्त समझा जाता है तो इसे संशोधन(तो) के सा बिल्ह्य की प्रस्तावित योजना पर विचार करना है और यदि उपयुक्त समझा जाता है तो इसे संशोधन(तो) के सा या इसके बिना अनुमोदन २७ जुलाई, २०२४ को **(''बैटक'**') कंपनी अधिनियम, २०१३ **(''अधिनियम**' की धारा २३० से लेकर २३२ तक और अन्य प्रावधानों के तहत निम्नलिखित तरीके से किया जाना है:

इक्विटी शेयरहोल्डर की बैठक १० बज कर ३० मिनट की सुबह (IST) ासुरक्षित ऋणदाताओं की बैठक ११ बज कर ३० मिनट की सुबह (IST)

पायाधिकरण के आदेशों का अनुपालन और इसमें दिए गए निर्देश के अनुसार तथा अधिनियम के ल प्रावधानों के अनुपालन करते हुए इसके द्वारा आगे यह सूचित किया जाता है कि कंपनी के इक्विटी शेय-गरकों और असुरक्षित ऋणदाताओं की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (''VC'') ६ अन्य ऑडियो–विजुअर ाध्यमों ("OAVM") के माध्यम से आयोजित की जाएगी।

गयाधिकरण के नियमानुसार, उपरोक्त बैठक की व्यक्तिगत सूचना के साथ—साथ योजना की प्रति, धा २३० (३) के तहत स्पष्टीकरणात्मक विवरण को धारा १०२ और अधिनियम के अन्य लागू प्रावधानों औ २३० (३) के तहत स्पष्टाकरणात्मक विषयण का बाच २०१ आर आसानचा च जन्म राजू ताचका आ कंपनी (समझौता, व्यवस्था और विलय) नियम, २०१६ ("CAA **वियम**") के नियम ६ के साथ—साथ सभी परिशिष्टों के साथ उन इक्विटी शेयरधारकों और असुरक्षित ऋणदाताओं, जिनके ईमेल ID कंपनी वे साथ पंजीकृत हैं को ईमेल के माध्यम से (३१ दिसंबर २०२३ तक) पहले ही भेज दिया गया है।

यायाधिकरण के आदेशों, योजनाओं, स्पष्टीकरणात्मक विवरण और अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों की प्रति

सभी कार्य दिवसों में सुबह १०:०० बजे से शाम ०६:०० बजे के बीच Y-६५ ग्राउंड फ्लोर, हौज खास नई दिल्ली, दिल्ली, भारत, ११००१६ पर स्थित हस्तांतरित कंपनी और हस्तांतरणकर्ता कंपनी के पंजीक कार्यालय से नि:शुल्क प्राप्त की जा सकती हैं। ई—वोटिंग या VC/OAVM आदि के माध्यम से बैठक में भाग लेने में किसी भी किस्म की कठिना

की स्थिति में, कृपया श्री. शारवान मंगला को ९१ ९८११७ ४२८२८ पर कॉल करें य info@masserv.com पर ईमेल करें। न्यायाधिकरण ने डॉ. बिनोद कुमार सिन्हा, फैं (सेवानिवृत्त) को अध्यक्ष के रूप में, श्री दिनेश भारद्वाज, ' (सेवानिवृत्त) को वैकल्पिक अध्यक्ष के रूप में और श्री वरुण कुमार चोपड़ा (अधिवक्ता) को इस बैठक व

लेए निरीक्षक के रूप में नियुक्त किया है। अगर बैठक में उपरोक्त योजना अनुमोदित की जाती है, तो इसव बाद यह न्यायाधिकरण के अनुमोदन के अधीन होगी। वृंकि बैठक VC/OAVM, के माध्यम से आयोजित की जा रही है, इसलिए कंपनी के इक्विटी शेय

ारकों और असुरक्षित ऋणदाताओं की सशरीर उपस्थिति की जरूरत नहीं है। इसलिए बैठक में कंपनी वे इक्विटी शेयरधारकों और असुरक्षित ऋणदाताओं की ओर से प्रॉक्सी की नियुक्ति की सुविधा उपलब्ध नहीं . होगी। हालांकि, यह स्पष्ट किया जाता है कि कॉर्पोरेट निकायध्संस्थाएं अपने प्रतिनिधि के माध्यम से अपना वो डालने की पात्र होंगी, जिन्हें यथास्थिति बोर्ड के समाधानोंध् शपथपत्रों द्वारा विधिवत अधिकृत किया गया है कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों और असुरक्षित ऋणदाताओं के पास योजना के अनुमोदन के लिंग माधान पर अपना वोट डालने की सुविधा और विकल्प (a) बैठक में उपलब्ध ई—वोटिंग प्रणाली के ाध्यम से वर्चुअल रूप से **(''बैठक में ई–वोटिंग''**) य या (b) रिमोट इलेक्ट्रॉनिक मतदान **''रिमोट ई–वोटिंग'**') होगा।

बैठक के दूरस्थ ई—वोटिंग के लिए शेड्यूल इस प्रकार है

इक्विटी शेयरधारकों की बैठक	
रिमोट ई—वोटिंग शुरू होने की तारीख और समय	मंगलवार, २३ जुलाई २०२४ को सुबह ०९:०० बजे IST
रिमोट ई—वोटिंग समापन की तारीख और समय	शुक्रवार, २६ जुलाई २०२४ को शाम ०५:०० बजे IST

असुरक्षित ऋणदाताओं की बैठक ोट ई—वोटिंग शुरू होने की तारीख और समय मंगलवार, २३ जुलाई २०२४ को सुबह ०९:०० बजे IST मोट ई—वोटिंग समापन की तारीख और समय शुक्रवार, २६ जुलाई २०२४ को शाम ०५:०० बजे IS:

एक इक्विटी शेयरधारक या असरक्षित ऋणदाता द्वारा इलेक्टॉनिक माध्यम का उपयोग करके मतदान करने कं ्रविधा, अर्थात् (i) रिमोट ई—वीटिंग्य और (ii) बैठक में ई—वोटिंग MAS सर्विसेज लिमिटेड द्वारा प्रदा की जा रही है। रिमोट ई—वोटिंग के लिए समय समाप्त (जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है) होने व बाद मतदान के लिए रिमोट ई—बोटिंग मॉड्यूल को MAS सर्विसेज लिमिटेड द्वारा अक्षम कर दिया जाएगा कंपनी के इक्विटी शेयरधारक और असुरक्षित ऋणदाता जो बैठक में भाग लेते हैं और जिन्होंने पहले से ई रिमोर ई—बोरिंग दाग अपना बोर नहीं दिया है वे बैठक में अपना बोर दे सकेंगे। इसके अलावा बैठक रिलाह कुन्यारा आप अपना याद नहा रिया है, ये बठके ने अपना याद द स्वेतरा इसके अर्थात, बठके औ भाग रुप्ते और ई—बोटिंग के निर्देश बैठक की सूचना में दिए गए हैं। कंपनी के इक्किटी शेयरशास्त्रों औ असुरक्षित ऋणदाताओं से अनुरोध किया जाता है कि वे नोटिस में दी गयी सभी सूचनाओं को ध्यान से पढ़ें यदि इक्विटी शेयरधारकों और असरक्षित ऋणदाताओं की बैठक में उपरोक्त योजना अनुमोदित की जाती है तो इसके बाद न्यायाधिकरण के अनुमोदन और ऐसे अन्य अनुमोदन, अनुमृतियां और मंजरी नियामक र

अन्य अधिकारियों के अधीन होगी, जो भी आवश्यक हो। कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों और अस्रक्षित लेनदारों से अनुरोध है कि वे इस योजना के संबंध में या बैठव में विचार करने के लिए प्रस्तावित मामले के संबंध में कोई भी जानकारी प्राप्त करने के लिए बैठक की तारीर से कम से कम ७ (सात) दिन पहले कंपनी को Cargill-India_Merger@cargill-com पर ईमेल करें।

तारीखः २६ जन २०२४

डॉ. बिनोद कमार सिन्हा, IRS (सेवानिवत्त बैठक के लिए न्यायाधिकरण द्वारा नियुक्त अध्यक्ष

श्री सुरेन्द्र यादव (रुपये पैंतीस लाख छब्बीस 31-10-2022 सह-कर्जदारगणः **श्रीमती पृष्पा यादव** . इजार आठ सौ नब्बे मात्र) एनपीए की तारीखः एवं श्री हर्ष यादव साथ में आगे का ब्याज 04-06-2024 मांग सचना की तारीख सभी का पताः सी 82. संजय ग्राम. जुर्माना ब्याज, लागत एवं गडगाँव, हरियाणा-122001 शल्क की रकम 17-06-2024 प्रत्याभूत सम्पत्तियों/अचल सम्पत्तियों/गिरवी पर रखी गई सम्पत्तियों का विवरणः वाका सीवाना मौजा गुङ्गाँव गाँव गुङ्गाँव, तहसील एवं जिला गुरुग्राम, नगर निगम गुरुग्राम हरियाणा के अंदर स्थित खेवट/खाता नं. -308/270, खतौनी-481 मिन, खसरा नं. 6885/ 195 (1-5-0) में रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा 0 बिस्वंसी हिस्सा 11/500, जिसका रकबा 0 बीघा 0 बिस्वा 11 बिस्वंसी (86 वर्ग यार्ड) सम्मिलित अचल सम्पत्ति सी-82, क्षेत्रफल का परिमाप 86 वर्ग यार्ड का सम्पूर्ण एवं सर्वांगीण हिस्सा।

पंजीकृत कार्यालयः 410-412, 18/12, चौथी मंजिल, डब्ल्यू ई.ए.,

कॉरपोरेट कार्यालयः 716-717, सातवीं मंजिल, टावर बी, वर्ल्ड ट्रेड 📙

टॉवर, सेक्टर 16, नोएडा, 201301, उ.प्र., दूरभाषः +91 120 4290650/52/53/54/55, ईमेल

info@cslfinance.in, Legal@cslfinance.in, वेवः www.cslfinance.in, CIN:L74899DL1992PLC051462

मांग सूचना

चूंकि, नीचे उल्लेखित कर्जदार/गारंटीदाता (ओं)/गिरवीदाता (ओं) ने सीएसएल फाइनैंस

लिमिटेड (सीएसएल) से वित्तीय सहायता की सुविधाएं हासिल की है। हम यह उल्लेख करते

हैं कि वित्तीय सहायता का लाभ उठाने के वाबजूद कर्जदार/गारंटीदाता (ओं)/गिरवीदाता (ओं)

(सभी के पृथक रूप से अथवा सामूहिक रूप से "बाध्यताधारी" कहा गया है) ने नियत तिथियों

के अनुसार ब्याज तथा मूल धन की राशि चुकता करने में कई बार विफल हो चुके हैं।

सीएसएल की बहियों में यहां नीचे उल्लेखित संबंधित तिथियों को खाते को अनर्जक सम्पत्ति

के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया है, इसके परिणाम स्वरूप, सीएसएल के अधिकृत अधिकारी

ने प्रतिभतिकरण एवं वित्तीय संपत्तियों के पनर्गठन तथा प्रतिभति हित प्रवर्तन अधिनियम

2002 के अधीन तथा धारा 13(12) के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के

नियम 3 के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग के तहत सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा

13(2) के अधीन यहां नीचे उल्लेखित तारीखों को मांग सूचना जारी की गई थी, जिसमें

बाध्यताधारी तथा/अथवा उनके वैध उत्तराधिकारी (यों)/वैध प्रतिनिधि (यों) को सूचना की प्राप्ति

की तारीख से 60 दिनों के अंदर सूचना में उल्लेखित रकम के साथ सूचनाओं में उल्लेखित

रकम पर अनुबंधकीय दर पर आगे के ब्याज की रकम तथा आकस्मिक व्यय, लागत, प्रभार

एतदद्वारा बाध्यताकारियों को इस संबंध में सार्वजनिक सूचना के माध्यम से सूचित किया

कुल बकाया रकम

दिनांक 14/06/2024 को

रु. 35,26,890/-

आर्य समाज रोड, करोल बाग, नई दिल्ली-110005,

इत्यादि की रकम चुकता करने को कहा गया है।

बाध्यताधारी/वैध उत्तराधिकारियों/

वैध प्रतिनिधियों के नाम

कर्जदार/जमानत प्रदाता:

एलएएनः SMEGUR0001863

CSL Finance Limted

ऋण अनुबंध की

तारीखः

सम्पत्ति की चौहद्दी एवं परिमाप निम्नानुसारः-स्वत्वाधिकार दस्तावेज के अनुसार: उत्तर-20 फीट चौड़ी सड़क, दक्षिण-अन्य की सम्पत्ति, पूर्व-अन्य की सम्पत्ति, पश्चिम-अन्य की सम्पत्ति।

वास्तविक/तकनीकी मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार: उत्तर-20 फीट चौड़ी सड़क, दक्षिण-अन्य की सम्पत्ति, पूर्व-सम्पत्ति सी-81, पश्चिम-खुली भूमि।

ऊपर उल्लेखित परिस्थियों के तहत, एतदद्वारा बाध्यताकारी तथा/अथवा उनके वैघ उत्तराधिकारियों/ वैध प्रतिनिधियों को सूचना दी जाती है कि कथित बाध्यताकारी अगर सीएसएल को भुगतान करने में विफल रहते हैं, तो सीएसएल कथित अधिनियम की धारा 13(4) तथा लागू नियमों के अंतर्गत ऊपरोक्त प्रत्याभूत सम्पत्तियों/अचल सम्पत्तियों के खिलाफ कार्यवाही आरम्भें करेगी, जो सम्पूर्ण रूप से कथित बाध्यताकारी तथा/अथवा उनके वैध उत्तराधिकारियों/वैध प्रतिनिधियों

की जोखिम लागत तथा परिणामों पर होगा। कथित अधिनियम के अधीन कथित बाध्यताकारी तथा/अथवा उनके वैध उत्तराधिकारियों/वैध प्रतिनिधियों द्वारा सीएसएल की पूर्व लिखित अनुमति के बगैर बिक्री, पट्टा अथवा अन्य किसी भी रूप में ऊपर उल्लेखित प्रत्याभूत सम्पत्तियों/अचल सम्पत्तियों के हस्तांतरण पर निषेध है। कोई भी व्यक्ति जो अधिनियम के प्रावधानों अथवा उसके अधीन गठित नियमों का उल्लंघन करता है अथवा उल्लंघन करने में सहयोग करता है, तो वे अधिनियम के अधीन प्रदत्त प्रावधानों के अनुसार जेल जाने तथा/अथवा दंड पाने के लिए जिम्मेदार होंगे।

तारीखः 27.06.2024 हस्ता/- अधिकृत अधिकारी सीएसएल फाइनैंस लिमिटेड स्थानः गुड़गाँव (हरियाणा)

फॉर्म नं. CAA. २ (कंपनी अधिनियम, २०१३ की धारा २३० (३) और कंपनी (समझौता, व्यवस्था और विलय) नियम, २०१६ के नियम ६ और ७ के अनुसार) राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण, नई दिल्ली पीठ के समक्ष CA (CAA) & 37/ (ND)/2024 कंपनी अधिनियम, २०१३ की धारा २३० से २३२ और अन्य लागू प्रावधानों के मामले में और

इक्वस सेल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ कारगिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और उनके संबंधित शेयरधारकों और ऋणदाताओं के बीच

ज्वा उक्त सेल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के विलय की योजना के मामले में CIN: U51909DL2022FTC419401

कंपनी अधिनियम, २०१३ के प्रावधानों के तहत निगमित एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और इसका पंजीकृत कार्यालय ल्—६५, ग्राउंड फ्लोर, हौज खास, नई दिल्ली, भारत, ११००१६ — आवेदक कंपनी १

ईमेल Id: India_cargillgroup@cargill.com

कारगिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, CIN: U15440DL1996PTC118008

कंपनी अधिनियम, १९५६ के प्रावधानों के तहत निगमित एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और इसका पंजीकृत कार्यालय ल-६५, ग्राउंड फ्लोर, हौज खास, नई दिल्ली, भारत, ११००१६ _ आतेरक कंपनी २/ में स्थित है।

हस्तांतरणकर्ता कंपनी ईमेल Id: India_cargillgroup@cargill.com कारगिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के इक्विटी शेयरधारकों और असुरक्षित

हस्तांतरणकर्ता कंपनी

ऋणदाताओं की बैठक की सूचना का विज्ञापन ाह अधिसुचना दी जाती है कि माननीय राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण, नई दिल्ली पीट ''**न्यायाधिकरण''**) द्वारा पारित २ मई, २०२४ के शुद्धिपत्र आदेश के साथ पढ़े गए १ मई, २०२४ के आदेश ्वयाचाधिकरण) द्वारी पारत र महे, २०२४ के शुद्धिभ अंदिश के साथ पढ़ गए, १ महे, २०४४ के आदश व्याचाधिकरण के आदेश) के अनुसार, न्यायाधिकरण ने कारीगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ("कंप्सी" या "हरतांतिरित कंपनी") के इंक्विटी शेयरधारकों और असुरक्षित ऋणदाताओं की बैठक २१ दिसंबर २०२३ तक बुलाने का निर्देश दिया है, जिसका उद्देश्य कंपनी और उनके संबंधित शेयरधारकों और ऋणदाताओं ("योजना") के साथ इक्वस सेल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ("हस्तांतरणकर्ता कंपनी")

के विलय की प्रस्तावित योजना पर विचार करना है और यदि उपयुक्त समझा जाता है तो इसे संशो

न(नों) के साथ या इसके बिना अनुमोदन २७ जुलाई, २०२४ को ('बैठक'') कंपनी अधिनियम, २०१ **''अधिनियम'')** की धारा २३० से लेकर २३२ तक और अन्य प्रावधानों के तहत निम्नलिखित तरीवे म्वटी शेयरहोल्डर की बैठक १२ बज कर ३० मिनट की सबह (IST) ासुरक्षित ऋणदाताओं की बैठक ०२ बज कर ३० मिनट की सुबह (IST)

।। ।।याधिकरण के आदेशों का अनुपालन और इसमें दिए गए निर्देश के अनुसार तथा अधिनियम के ल ावधानों के अनुपालन करते हुए इसके द्वारा आगे यह सचित किया जाता है कि कंपनी के दक्किटी शेयर ारकों और असुरक्षित ऋणदाताओं की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (''VC'') ६ अन्य ऑडियो—विजुअल गध्यमों ("OAVM") के माध्यम से आयोजित की जाएगी।

न्यायाधिकरण के नियमानुसार, उपरोक्त बैठक की व्यक्तिगत सूचना के साथ—साथ योजना की प्रति, धार

२३० (३) के तहत स्पष्टीकरणात्मक विवरण को धारा १०२ और अधिनियम के अन्य लागू प्रावधानों और कंपनी (समझौता, व्यवस्था और विलय) नियम, २०१६ ("CAA नियम") के नियम ६ के साथ-साथ सर्भ परिशिष्टों के साथ उन इक्विटी शेयरधारकों और असुरक्षित ऋणदाताओं, जिनके ईमेल ID कंपनी के साथ पंजीकृत हैं को ईमेल के माध्यम से (३१ दिसंबर २०२३ तक) पहले ही भेज दिया गया है। न्यायाधिकरण के आदेशों, योजनाओं, स्पष्टीकरणात्मक विवरण और अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों की प्रतिय

सभी कार्य दिवसों में सुबह १०:०० बजे से शाम ०६:०० बजे के बीच Y-६५ ग्राउंड फ्लोर, हौज खास नई दिल्ली, दिल्ली, भारत, ११००१६ पर स्थित हस्तांतरित कंपनी और हस्तांतरणकर्ता कंपनी के पंजीक कार्यालय से नि:शुल्क प्राप्त की जा सकती हैं। ई—वोटिंग या VC/ OAVM आदि के माध्यम से बैठक में भाग लेने में किसी भी किस्म की कठिनाइ

की स्थिति में, कृपया श्री. शारवान मंगला को ९१ ९८११७ ४२८२८ पर कॉल करें य info@masserv.com पर ईमेल करें। न्यायाधिकरण ने डॉ. बिनोद कुमार सिन्हा, फैं (सेवानिवृत्त) को अध्यक्ष के रूप में, श्री दिनेश भारद्वाज,

(मेवानिवन) को वैकल्पिक अध्यक्ष के रूप में और श्री वरुण कमार चोपटा (अधिवन्त) को दम बैठक व लिए निरीक्षक के रूप में नियक्त किया है। अगर बैठक में उपरोक्त योजना अनुमोदित की जाती है, तो इसवे बाद यह न्यायाधिकरण के अनुमोदन के अधीन होगी। चूंकि बैठक VC/ OAVM, के माध्यम से आयोजित की जा रही है, इसलिए कंपनी के इक्विटी शेयर

ारकों और असुरक्षित ऋणदाताओं की सशरीर उपस्थिति की जरूरत नहीं है। इसलिए बैठक में कंपनी वे इक्विटी शेयरशारकों और असुरक्षित ऋणदाताओं की ओर से प्रॉक्सी की नियुक्ति की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। हालांकि, यह स्पष्ट किया जाता है कि कॉर्पोरेट निकायध्संस्थाएं अपने प्रतिनिधि के माध्यम से अपना वोट डालने की पात्र होंगी, जिन्हें यथास्थिति बोर्ड के समाधानोंध् शपथपत्रों द्वारा विधिवत अधिकृत किया गया है कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों और असुरक्षित ऋणदाताओं के पास योजना के अनुमोदन के लिए समाधान पर अपना वोट डालने की सुविधा और विकल्प (a) बैठक में उपलब्ध ई-वॉटिंग प्रणाली के माध्यम से वर्चुअल रूप से (**''बैठक['] में ई-वोटिंग''**) य या (b) रिमोट इलेक्ट्रॉनिक मतदा-**''रिमोट ई-वोटिंग'**') होगा।

बैठक के दरस्थ ई—वोटिंग के लिए शेड्यल इस प्रकार है: - F F

पठा राजस्वास्का का बठक						
ट ई—वोटिंग शुरू होने की तारीख और समय	मंगलवार, २३ जुलाई २०२४ को सुबह ०९:०० बजे IST					
ट ई—वोटिंग समापन की तारीख और समय	शुक्रवार, २६ जुलाई २०२४ को शाम ०५:०० बजे IST					
प्रशिव क्यारावाओं की बैटक						

रिमोट ई—वोटिंग समापन की तारीख और समय शुक्रवार, २६ जुलाई २०२४ को शाम ०५:०० बजे IST एक इक्विटी शेयरधारक या असुरक्षित ऋणदाता द्वारा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का उपयोग करके मतदान करने कं सुविधा, अर्थात (i) रिमोट ई—वोटिंगय और (ii) बैठक में ई—वोटिंग MAS सर्विसेज लिमिटेड द्वारा प्रदा को जा रही है। रिमोट ई—वोटिंग के लिए समय समाप्त (जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है) होने व बाद मतदान के लिए रिमोट ई—वोटिंग मॉड्यूल को MAS सर्विसेज लिमिटेड द्वारा अक्षम कर दिया जाएर कंपनी के इक्विटी शेयरधारक और असुरक्षित ऋणदाता जो बैठक में भाग लेते हैं और जिन्होंने पहले से ह रिमोट ई-बोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं दिया है, वे बैठक में अपना वोट दे सकेंगे इसके अलावा, बैठक में भाग लेने और ई-बोटिंग के निर्देश बैठक की सूचना में दिए गए हैं। कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों औ

रिमोट ई—वोटिंग शुरू होने की तारीख और समय मंगलवार, २३ जुलाई २०२४ को सुबह ०९:०० बजे IST

असरक्षित ऋणदाताओं से अनरोध किया जाता है कि वे नोटिस में दी गयी सभी सचनाओं को ध्यान से पढें यदि इक्विटी शेयरधारकों और असरक्षित ऋणदाताओं की बैठक में उपरोक्त योजना अनुमोदित की जाती है तो इसके बाद न्यायाधिकरण के अनुमोदन और ऐसे अन्य अनुमोदन, अनुमतियां और मंजूरी नियामक य अन्य अधिकारियों के अधीन होगी, जो भी आवश्यक हो। कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों और असुरक्षित लेनदारों से अनुरोध है कि वे इस योजना के संबंध में या बैठव

ां विचार करने के लिए प्रस्तावित मामले के संबंध में कोई भी जानकारी प्राप्त करने के लिए बैठक की तारीख से कम से कम ७ (सात) दिन पहले कंपनी को Cargill-India_Merger@cargill-com पर ईमेल करें।

तारीख: २६ जुन २०२४

डॉ. बिनोद कुमार सिन्हा, IRS (सेवानिवृत्त बैठक के लिए न्यायाधिकरण द्वारा नियुक्त अध्यक्ष

Business Standard

Markets, **Insight Out**



Markets, Monday to Saturday

To book your copy, sms reachbs to 57575 or email order@bsmail.in

यूनिट: हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड

जिनके पास उनके डीमैट खाते हैं।

सदस्य ध्यान दें कि निदेशक मंडल ने ८ मई. २०२४ को आयोजित अपनी बैठक में वित्तीय वर्ष २०२३-२४ के लिए २/- रूपये प्रत्येक दं

स्थान: नई दिल्ली

Hero वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/अन्य ओडियो विजुअल माध्यमों के द्वारा आयोजित की जाने वाली कंपनी की 41st वार्षिक सामान्य बैठक के संबंध में जानकारी देने हेतु सूचना

दिनांक: २६ जून, २०२४

IndiaShelter

तिथि: २७ जून, २०२४ स्थान: नई दिल्ली